

कालोत्तरा

06.03.24.

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त के अधिवक्ता अनुपस्थित।
पूर्व में भी अधिवक्ता अपीलान्त दो पेशी पर अनु. रद्द।
न्यायालय में अधिवक्ताजन द्वारा प्रभावी पेशी किर्ची
जाने बाबत बार को सूचित किया जा चुका है।
अनेक अवसर के बावजूद अधिवक्ता अपीलान्त
अनुपस्थित होने पर पत्रावली अदम हाजरी
अदम पेशी से इसी स्तर पर खारीज की
जाती है।

जिला कलेक्टर
कलकत्ता